न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—225 / 2018 / 225 (2018 / 00225)

1. लक्ष्मण पुत्र अणदा, जाति रावत, निवासी रघुनाथपुरा, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. काना पुत्र रामकरण, जाति जाट, निवासी खेडा, तह0 किशनगढ़, जिला अजमेर ।
2. रामरतन पुत्र काना, जाति जाट, निवासी खेडा, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर ।
3. टीकम पुत्र काना, जाति जाट, निवासी खेडा, तह0 किशनगढ़, जिला अजमेर ।
4. श्रीमती प्रेम पत्नी काना, जाति जाट, निवासी खेडा, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़, दिनांक 15.5.2018 अंतर्गत प्रकरण संख्या 193 / 2018.

उपस्थितः—

1. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील अपीलांट ।
2. वकील रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 6.8.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के आदेश दिनांक 15.5. 2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी / अपीलांट ने अधी0न्याया0 में वाद के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रघुनाथपुरा, तहसील किशनगढ़ स्थित खाता नंबर नया 54 पुराना 52 के खसरा नंबर 97 / 73 रकबा 15 बीघा जिसके खातेदार वर्तमान जमाबंदी संवत् 2067 से 2070 के अनुसार प्रार्थी खातेदार दर्ज है । वर्तमान राजस्व नक्शा में वादी / प्रार्थी की खातेदारी भूमि जो कि खसरा नंबर 72 की दक्षिणी सींव से लगी हुई है तथा नीली स्याही से दर्शाई गई है जो सही है परन्तु वर्तमान राजस्व नक्शे में नीली स्याही के साथ अलग से पश्चिम से पूर्व वर्तमान राजस्व नक्शे में लाल स्याही से लाईन दर्शाई गई एवं खसरा नंबर 73 / 1 अंकित कर दिया गया जो गलत है जिसे हटवाया जावे तथा वर्तमान खसरा नंबर 99 / 73 की उत्तरी एवं पूर्वी सींव के बाल लाल रंग की स्याही से डोटेड पगदण्डी दर्शाई गई है कि जिसका खसरा नबर 73 / 1 वर्तमान राजस्व नक्शे में अंकित करवाया जाना वांछित है । इस गलत नक्शे के आधार पर प्रतिवादीगण संख्या 1

से 4 जिनका विवादित आराजियात से कोई संबधं नहीं है इसके बावजूद वे वादी/प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलदांजी करने पर आमादा है । अतः वाद के निर्णय तक प्रतिवादीगण/रेस्पो0 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबदं किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज करने के आदेश दिनांक 15.5.2018 को खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि ग्राम रघुनाथपुरा तह0 किशनगढ़ स्थित विवादित भूमि खाता संख्या नया 54 पुराना 52 के खसरा नंबर 97/73 रकबा 15 बीघा का खातेदार वर्तमान जमाबंदी संवत 2067 से 2070 के अनुसार अपीलांट है तथा काबिज काश्त है । अधी0न्याया0 ने अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना प्रकरण को कैम्प कोर्ट टिकावड़ा में रखकर पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किये बिना खारिज करने में त्रुटि कारित की है । राजस्व कैम्प में मात्र उसी प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें पक्षकारान के मध्य समझौता हो गया हो जबकि प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का समझौता नहीं हुआ था । विधि के सुस्थापित सिद्धांत के अनुसार राजस्व वाद के विचाराधीन रहते हुए धारा 212 के अंतर्गत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रसारित की जाकर विवादित भूमि की सुरक्षा एवं अपीलांट के हितों की रक्षा हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाना आवयकता था परन्तु अधी0न्याया0 ने उक्त तथ्य को नजरअदांज कर प्रकरण को मात्र सरसरी तौर पर निर्णित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश में यह भी विवेचन किया है कि अपीलांट/प्रार्थी प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दू साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है जबकि अपीलांट विवादित भूमि का वर्तमान जमाबंदी में खातेदार दर्ज होकर काबिज काश्त है जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में था तथा रिकार्डेड काबिज खातेदार के कब्जे काश्त में अन्य व्यक्ति द्वारा दखलदांजी की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी काबिज खातेदार को ही होगी । यह भी कथन किया कि अप्रार्थीगण ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का खण्डन नही ंकिया इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र मात्र सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जो विधिविरूद्ध है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 स्वीकार कर अप्रार्थीगण/रेस्पो0 को ताफैसला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी समय पर नहीं होने से समयावधि में अपील पेश नहीं की जा सकी । अपीलांट लंबी बीमारी एवं शारीरिक कमजोरी के कारण अपने अधिवक्ता से संपर्क नहीं कर सका जिसके चलते नियत समयावधि में अपील पेश नहीं कर सका । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम हम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत

प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित प्रतीत होते है । हम न्यायाहित में अपीलांट को सुना जाना उचित समझते है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील में हुआ विलंब माफ किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

7. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट जमाबंदी संवत् 2067 से 2070 एवं खसरा गिरदावरी संवत् 2071 से 2074 के अनुसार विवादित आराजी खाता नंबर नया 54 पुराना 52 के खसरा नंबर 97/73 रकबा 15 बीघा का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होकर काबिज काश्त है। अप्रार्थीगण/रेस्पो0 द्वारा अपीलांट/प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि पर दखल न करने बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत किया गया । उक्त प्रार्थना पत्र का अप्रार्थीगण/रेस्पो0 द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया एवं न ही प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी एवं खसरा गिरदावरियों के खण्डन के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य ही पेश किये है । वर्तमान जमाबंदी में अपीलांट रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होकर काबिज काश्त होना प्रथम दृष्टया प्रमाणित है । प्रथमदृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन वर्तमान जमाबंदी एवं खसरा गिरदावरी के इंद्राज के अनुसार अपीलांट के पक्ष में पाया जाता है । यदि दौराने वाद अपीलांट/प्रार्थी जो कि रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होकर विवादित आराजी पर काबिज काश्त है, को यदि अप्रार्थीगण द्वारा बेदखल किया जाता है अथवा उसके कब्जे काश्त में दखलदांजी की जाती है तो अपीलांट को ही अपूर्णीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है । उक्त तीनों घटक अपीलांट के पक्ष में साबित होने के बावजूद अधी0न्याया0 ने उक्त तथ्यों को नजरअदांज कर प्रकरण को कैम्प कोर्ट टिकावड़ा में रखकर खारिज करने में विधिक एवं तथ्यात्मक की है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट स्वीकार योग्य एवं अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश निरस्त योग्य होकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

8. अतः अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.5.2018 निरस्त किया जाकर अपीलांट/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 स्वीकार किया जाकर ताफैसला मूल वाद उभयपक्ष को इस अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबदं किया जाता है कि वे ग्राम रघुनाथपुरा, तहसील किशनगढ़ के खाता संख्या नया 54 पुराना 52 के खसरा नंबर 97/73 रकबा 15 की मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 6.8.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर